सं. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 45 के उप-नियम(1)(क) के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो नियम 44 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो गया है, की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान देय है। सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, उसकी परिलब्धियों के अधिकतम साढ़े सोलह गुना के अधीन रहते हुए अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर है।

2. किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके कुटुंब को मृत्यु उपदान नियम 45(1)(ख) में दी गई सारणी में दी गई दरों पर देय है।

3. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नियम 31 के अनुसार संगणित की जाती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, कम कर दी गई है तो नियम 32 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियां, परिलब्धियां मानी जाती हैं। सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान की रकम की गणना के लिए सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता परिलब्धियां माना जाता है। नियम 45 के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की अधिकतम रकम बीस लाख रुपये है।

जारी...

4. नियम 45 के अधीन अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाता है और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है। ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने चार वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु पांच वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा पांच वर्ष की होगी और वह सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की मंजूरी के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

सं. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 46, नियम 45 के अधीन देय उपदान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन से संबंधित है।

2. नियम 45 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपदान के **संदाय** के प्रयोजन के लिए

(i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;

(ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति भी हैं;

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी है;

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(v) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

जारी-

(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;

(vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;

(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;

(x) विवाहित पुत्रियां; और

(xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

के उद्देश्य से परिवार का अर्थ है:

नियम 46 अन्य बातों की साथ-साथ यह भी प्रावधान करता है कि यदि उपरोक्तानुसार सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक या एक से अधिक सदस्य है तो नामनिर्देशन उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा।

3. यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।

4. सरकारी कर्मचारी नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक के अंश की रकम को विनिर्दिष्ट करेगा। अन्य व्यक्ति (वैकल्पिक नामिती) का नाम और विवरण जिसे नामनिर्देशन पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही हो जाए अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान की रकम प्राप्त करने से पूर्व हो जाए।

जारी -

5. जहां नामनिर्देशन करते समय किसी सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब न हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा यदि उस सरकारी कर्मचारी का बाद में कोई कुटुंब हो जाये। अविवाहित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पूर्व नामनिर्देशन को रद्द नहीं करता और नया नामनिर्देशन दर्ज नहीं करता।

6. यह सत्यापित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब है, तो नामनिर्देशन कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य के पक्ष में किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिर्देशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है। उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नामनिर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा। वह नामनिर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी करेगा। नामनिर्देशन प्ररूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

सं. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 47 किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उपदान के संदाय से संबंधित है।

2. नियम 45 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पठित नियम 47(1)(ख) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उपदान का संदाय, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त करने का अधिकार नामनिर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान का संदाय निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कुटुंब के सभी उत्तरजीवी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में किया जाएगा:

(i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;

(ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकत: पृथक्कृत पति भी हैं;

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी है;

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(v) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

जारी-

यदि ऊपर उल्लिखित कुटुंब के ऐसे कोई उत्तरजीवी सदस्य नहीं हैं, तो उपदान का संदाय निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले कुटुंब के सभी उत्तरजीवी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में किया जाएगा:

(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;

(vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी हैं;

(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाक़शुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;

(x) विवाहित पुत्रियां; और

(xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

3. उपरोक्त प्रावधान उन मामलों में भी लागू होते हैं जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान प्राप्त किए बिना हो जाती है।

4. यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान की रकम प्राप्त किए बिना हो जाती है तथा अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ जाता है और-(क) कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, या (ख) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम सरकार को व्यपगत हो जाएगी। तथापि, मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का संदाय उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा विचाराधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिया गया है।

जारी -

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान के संदाय के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

सं. 28/91/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8331

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003 दिनांक: 11 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का संदाय- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है; केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 65 **उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज** से संबंधित है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 65 नियम के अनुसार, ऐसे सभी मामलों में जहां उन नियमों के अनुसार अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन या अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया गया है अथवा जहां पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान का संदाय के प्राधिकार में विलंब किया गया है और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है तो पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के बकायों **पर**, सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर पर और ऐसी रीति में ब्याज संदत्त किया जाएगा। तथापि, यदि संदाय में विलंब, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन या कुटुंब पेंशन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण हुआ है तो कोई **ब्याज** देय नहीं होगा।

3. पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान(अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान सहित) के विलंबित संदाय के सभी मामलों पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो ब्याज का संदाय उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

जायी.

4. विभाग या कार्यालय उस सरकारी कर्मचारी या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के संदाय में विलंब के लिए दोषी पाये जाते हैं और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। अनुशासनिक कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, ब्याज का संदाय सचिव या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा।

5. पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब होने पर जिस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी, अर्थात:-

(क)अधिवर्षिता पर सेवानिवृत हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान या दोनों के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ख) अधिवर्षिता से अन्यथा सेवनिवृत हुए या सेवानिवृत किये गए या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में आनेलित अथवा सेवा के दौरान या सेवनिवृति के पश्चात् दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या आमेलन या मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से,पेंशन या उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवनिवृति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवनिवृति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और जो ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;

(घ) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवनिवृति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से पूर्णत: दोषमुक्त न होने के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के पूर्णत: या भागत: संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन और उपदान के संदाय का आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(ड.) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे सेवनिवृति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बंद कर दी जाती है, मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन, कुटुंब पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

जारी -

(च) जहां प्राधिकृत पेंशन की रकम में वृद्धि होने के कारण सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम अथवा परिलब्धियों के पूर्वव्यापी संशोधन अथवा पेंशन या उपदान अनुज्ञा देने से संबंधित उपबंधों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप सेवानिवृति पर संदत्त की गई उपदान की बकाया रकम देय हो जाती है, यथास्थिति, परिलब्धियों को संशोधित करने या पेंशन या उपदान की अनुज्ञा से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम, पेंशन या उपदान के बकायों के भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन **उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज** के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धार्थ

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)